UPSP010033852026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम), सहारनपुर।

पीठासीन– संजय कुमार–V (उच्चतर न्यायिक सेवा)

JO Code– UP1773

सिविल निगरानी संख्या – 47 सन 2026

---

1. चमन सिंह पुत्र कानत सिंह।

2. श्रीमति सोम्मी देवी पत्नी स्व० कानत सिंह (मृतक दौरान वाद)।

निवासीगण कस्बा सुलतानपुर, परगना सुलतानपुर, तहसील व जिला सहारनपुर।

2/1– बाला पुत्री कानत सिंह पत्नी स्व० सुभाष चन्द निवासी विकास नगर, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)

2/2– बीना पुत्री कानत सिंह पत्नी अतुल कुमार निवासी गांव सालियर, तहसील रूडकी, जिला– हरिद्वार।

2/3– सलेलता पुत्री कानत सिंह पत्नी नरेश कुमार निवासी मुण्डाखेडा लक्सर, जिला हरिद्वार।

2/4– सुनीता पुत्री कानत सिंह पत्नी पवन कुमार निवासी हालू माजरा, भगवानपुर जिला हरिद्वारा (उत्तराखण्ड)

.....**निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण।**

बनाम

श्रीमति संजीदा पत्नी रफीक निवासी मौहल्ला काजीमल, कस्बा सुलतानपुर, डाकखाना चिलकाना परगना सुलतानपुर, तहसील व जिला सहारनपुर।

... ...**रेस्पोडेन्ट/वादिया।**

निर्णय

1. प्रस्तुत सिविल निगरानी, निगरानीकर्ता की ओर से मूलवाद संख्या–47 सन 2026, चमन सिंह बनाम संजीदा में विद्वान न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) सहारनपुर द्वारा प्रार्थनापत्र –61 ग पर पारित आदेश दिनांकित 17.02.2026 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी, जिसके द्वारा प्रार्थनापत्र– 61 ग निरस्त किया गया है।

2. संक्षेप में प्रार्थनापत्र–61 ग अंतर्गत धारा – 10 सी०पी०सी० प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विवादित सम्पत्ति व दीगर सम्पत्ति के बारे में गैर फरीक मुकदमा नरेश कुमार जैन आदि ने वाद संख्या–579/2006 नरेश कुमार जैन आदि बनाम जयपाल सैनी आदि न्यायालय सिविल जज सी०डि० सहारनपुर के यहां दायर करके और उसमें साजशी सुलहनामा दाखिल करके दिनांक 30.05.2011 को डिक्री करा लिया था, प्रतिवादीगण द्वारा उक्त डिकी की जानकारी होने पर उक्त वाद में पारित डिकी की मन्सूखी का वाद संख्या 175/2014 चमनलाल सैनी बनाम नरेश कुमार जैन आदि न्यायालय सिविल जज सी०डि० सहारनपुर के यहां दिनांक 26.02.2014 को दायर किया हुआ है, जो न्यायालय सिविल जज सी०डि०/एफ.टी.सी. सहारनपुर के यहां विचाराधीन चला आ

रहा है, जिसमें दिनांक 30.09.2023 नियुक्त है। उक्त साजशी डिकी के पक्षकार राजीव कुमार जैन व कमल कुमार जैन ने विवादित सम्पत्ति के आंशिक भाग का विकय पत्र वादनी के पक्ष में दिनांक 27.12.2011 को कर दिया था, वादनी ने उक्त विक्रय पत्र दिनांक 27.12.2011 के आधार पर यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 05.03.2020 को दायर किया हुआ है, जो वाद प्रतिवादीगण ने साजशी डिकी की मन्सूखी का दायर किया हुआ है, उक्त वाद की सम्पत्ति का एक भाग इस वाद में विवादित है, प्रतिवादीगण द्वारा दायर वाद संख्या 175 सन 2014 के निस्तारण तक वाद हाजा का निस्तारण किया जाना उचित व न्याय संगत नही होगा। इस कारण वाद संख्या 175/2014 चमनलाल सैनी बनाम नरेश कुमार जैन आदि न्यायालय सिविल जज सी०डि०/एफ.टी.सी. सहारनपुर के निस्तारण तक वाद हाजा की अग्रिम कार्यवाही स्थगित होनी कानूनन आवश्यक है। वाद संख्या 175/2014 चमनलाल सैनी बनाम नरेश कुमार जैन आदि न्यायालय सिविल जज सी०डि०/एफ.टी.सी. सहारनपुर के निर्णीत होने तक इस वाद की कार्यवाही स्थगित फरमाने की प्रार्थना की गयी है।

3. उक्त प्रार्थनापत्र के विरुद्ध वादी संजीदा की ओर से आपत्ति कागज संख्या –64 सी इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि जिस वाद का जिक्र प्रतिवादी वाद संख्या–579/06 नरेश कुमार जैन आदि बनाम जयपाल सैनी आदि का जिक इस वाद में कर रहे हैं, उससे कोई संबंध मौजूदा वाद का नहीं है। मौजूदा वाद में नरेश कुमार जैन आदि पक्षकार वाद नहीं है। इसके साथ–साथ जिन व्यक्तियों के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है, जयपाल सैनी आदि भी मौजूदा वाद में वादपक्ष नहीं है। इसलिए उनका कोई संबंध मौजूदा वाद से नहीं है अर्थात मौजूदा वाद के पक्षकार अलग–अलग चले आते हैं। प्रश्नगत संपत्ति भी अलग है, इसलिए धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान वाद पर लागू नहीं है। प्रा०पत्र गलत तथ्यों पर आधारित है, कोई वास्तविकता नहीं है। अतः प्रा०पत्र निरस्त होने योग्य है।

4. विद्वान अवर न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने तथा पत्रावली के अवलोकन उपरान्त प्रार्थनापत्र– 61 ग निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानी योजित की गई है।

5. निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विद्वान निम्न न्यायालय की यह तजवीज फरमाना कि धारा 10 जाब्ता दीवानी के प्राविधान इस वाद में लागू नही होते हैं।, कतई गलत व खिलाफ कानून है। विद्वान न्यायालय द्वारा धारा 10 जा०दी० के प्राविधान पर पूरी तरह से गौर नही फरमाई है, इसलिए आदेश गलत पारित हुआ है। विद्वान निम्न न्यायालय का यह कथन कि वाद संख्या 175 सन 2014 से कोई सम्बन्ध मौजूदा वाद का नही है या नरेश कुमार जैन आदि पक्षकार नही है, इस कारण वाद के पक्षकार अलग अलग चले आते हैं और प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई ऐसा दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया है, जिससे स्पष्ट हो कि दोनो वादो में विवादित सम्पत्ति एक ही है। पत्रावली में दाखिल दस्तावेजो से यह बात स्पष्ट है कि विवादित सम्पत्ति वाद संख्या 579 सन 2006 की विवादित सम्पत्ति का भाग है और वादनी के पक्ष में हुये बैयनामे में भी इस वाद संख्या 579 सन 2006 का भी उल्लेख है। इस कारण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि विवादित सम्पत्ति वाद संख्या 579 सन 2006 में पारित डिकी की ही सम्पत्ति का भाग है और वाद संख्या 175 सन 214 निगरानीकर्ता द्वारा उक्त डिकी को निरस्त कराने का दायर किया हुआ है। विद्वान निम्न न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करने में मैटीरीयल इनलिगिलिटी की है और आदेश कायम करने से प्रतिवादीगण निगरानीकर्तागण की अपूर्णीय क्षति है, इस कारण प्रश्नगत आदेश का निरस्त होने न्यायहित में आवश्यक है। निगरानीकर्ता नं.2 सोम्मी देवी का स्वर्गवास दिनांक 07.2.2025 को हो गया है और उसके वारसान निगरानीकर्ता नं.2/1 ता 2/4 हैं, मूल वाद में सोम्मी देवी के वारसान कायम नही कराये हैं, निगरानीकर्ता सोम्मी के वारसान को निगरानीकर्ता सं.2 के वारसान 2/1 ता 2/4 बनाकर निगरानी दायर की जा रही है।

आदेश दिनांक 17.02.2026 न्यायालय सिविल जज सी०डि० सहारनपुर, वाद संख्या 173/2020 संजीदा आदि बनाम चमन सिंह आदि निरस्त फरमाया जाकर प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र 61 ग स्वीकार फरमाते हुये वाद संख्या 175/2014 चमनलाल सैनी बनाम नरेश कुमार जैन आदि न्यायालय सिविल जज सी०डि०/एफ०टी०सी० सहारनपुर के निर्णीत होने तक इस वाद की कार्यवाही स्थगित की जाने की प्रार्थना की गयी है।

6. विपक्षीगण संजीदा की ओर से आपत्ति 15 सी प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र कदापि पोषणीय नही था उन्होने वाद में देरी कारित करने के लिए प्रा०पत्र प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत संपत्ति का स्वामी व अध्यासी रेस्पोडेंट चली आती है उसके हक में एक पंजीकृत विक्रय पत्र है उसका कब्जा भी संपत्ति पर है उसके द्वारा दुकान बनायी गयी है जिसका उपयोग प्रतिवादनी कर रही है। निगरानी पोषणीय नही है प्रत्येक दशा में निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

7. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

8. **सिविल प्रकिया संहिता** की **धारा 10** प्रावधान करती है कि कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद–विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नहीं करेगा जहाँ ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और, वैसी ही अधिकारिता रखता है, या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है।

स्पष्टीकरण– विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लम्बित होना उसी वाद– हेतुक पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत में के न्यायालयों को प्रवारित नहीं करता।

9. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 07.02.2026 को प्रार्थना–पत्र 61 ग निरस्त करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि वाद संख्या–175/2016 चमनलाल सैनी बनाम नरेश कुमार जैन आदि न्यायालय सिविल जज सी.डी. सहारनपुर में विचाराधीन है, जिसमें उक्त वाद की सम्पत्ति का एक भाग इस वाद में विवादित है तथा वादी ने कथन किया है कि वाद संख्या–175/2014 चमनलाल सैनी बनाम नरेश कुमार जैन आदि से कोई सम्बन्ध मौजूदा वाद का नहीं है। मौजूदा वाद में नरेश कुमार जैन आदि पक्षकार वाद नहीं है। इसके साथ–साथ जिन–जिन व्यक्तियों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है, मौजूदा वाद में वादीपक्ष नहीं है। इसलिए उनका कोई सम्बन्ध मौजूदा वाद से नहीं है। मौजूदा वाद के पक्षकार अलग–अलग चले आते हैं। अतः प्रार्थना पत्र 61 ग निरस्त किया जाता है।

10. मूल वाद में 61 सी/2 में उल्लिखित है कि प्रतिवादीगण द्वारा दायर वाद संख्या–175/2014 चमनलाल सैनी बनाम नरेश कुमार जैन आदि डिक्री की मन्सूखी निरस्त करने हेतु योजित किया गया है, जो विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में दाखिल प्रार्थना–पत्र 61 ग से परिलक्षित होता है। वाद संख्या–173/2020 के वाद पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद, वाद संख्या–579/06 में पारित डिक्री के निरस्तीकरण हेतु योजित किया गया है।

11. मूलवाद संख्या–173/2020 की वादिनी श्रीमति संजीदा है। जबकि मूलवाद संख्या–175/2014 के वादी चमन लाल सैनी है। उक्त दोनों वादों में चाहा गया वांछित

अनुतोष भिन्न–भिन्न है तथा दोनों वादों में विवादित सम्पत्ति भी पूर्ण रुप से समान नहीं है। निगरानीकर्ता ने उल्लिखित किया है। मूलवाद संख्या– 579 सन 2006 की सम्पत्ति, वर्तमान मूलवाद संख्या– 173/2020 की विवादित सम्पत्ति का अंश है। जिससे स्पष्ट है कि वाद संख्या– 173/2020 में विवादित सम्पत्ति, वाद संख्या–175/2014 में विवादित सम्पत्ति का अंश है।

12. उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मूलवाद संख्या–173/2020 के पक्षकार विवादित सम्पत्ति, वांछित अनुतोष, मूलवाद संख्या– 175/2014 से भिन्न है।

13. उपरोक्त किए गए विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या–173 सन 2020 में पारित आलोच्य आदेश दिनाँकित 17.02.2026 में दिया गया निष्कर्ष विधिक रूप से शुद्ध, वैध एवं औचित्यपूर्ण है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.02.2026 पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत सिविल निगरानी संख्या– 47 सन 2026 निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या–173 सन 2020, संजीदा बनाम चमनलाल आदि में प्रार्थनापत्र–61 ग पर पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 17.02.2026 पुष्ट किया जाता है।

आदेश की एक प्रति के साथ तलबीदा पत्रावली अविलम्ब विद्वान अवर न्यायालय को प्रेषित की जाए।

(संजय कुमार–V)
दिनाँकः 20.07.2026 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश,
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम)
सहारनपुर।
JO Code– UP1773

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(संजय कुमार–V)
दिनाँकः 20.07.2026 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश,
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम)
सहारनपुर।
JO Code– UP1773

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.07.20 16:13:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court